न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ (त्वरित न्यायालय) /
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1157/2026

मेहरबान पुत्र यासीन कुरैशी, निवासी निकट मरगद मस्जिद मौहल्ला शाहघासी दरवाजा झिंझाना, जिला शामली।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।

... . विपक्षी,

मु०अ०सं०–69/2019,
धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट,
थाना झिंझाना, जिला शामली,

दिनांकः–22.07.2026

1. यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **मेहरबान पुत्र यासीन कुरैशी** की ओर से मु०अ०सं० 69/2019, धारा– 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना झिंझाना , जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मु०अ०सं० में पूर्व से जमानत पर चल रहा था आरोप पत्र आने के बद आवेदक/अभियुक्त को वाद उक्त की जानकारी न होने के कारण उक्त वाद में आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये थे। आवेदक/अभियुक्त अन्य मुकदमों में जिला कारागार से दिनांक 04.05.2026 को तलब होकर आया है। आवेदक/अभियुक्त न तो किसी गिरोह का सदस्य है न ही किसी गिरोह को चलाता है और न ही किसी गिरोह के साथ मिलकर किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। आवेदक/अभियुक्त ने न तो किसी व्यक्ति को भय में डालकर धन अर्जित किया है न ही समाज विरोधी क्रियाकलापों में भाग लिया है। आवेदक/अभियुक्त ने गिरोहबन्द समाज विरोधी संबंधित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त गैंगचार्ट में दिखाये ये मुकदमों में न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

4. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त की जमानत उक्त मुकदमें में दिनांक 18.11.2019 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश,मुजफ्फरनगर से स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये थे आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.05.2026 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। अतः गुण–अवगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मेहरबान पुत्र यासीन कुरैशी** की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो नवीन प्रतिभू** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

ऋतु नागर
अपर सत्र न्यायाधीश/(त्वरित न्यायालय),
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
J.O. I.D No.1671